# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

**प्रकरण संख्या– 205/2017**

बउनवान

महावीर उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री कजोड जाति–कहार निवासी–भैरूपुरा तहसील–मॉगरोल, जिला–बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,सीसवाली **(रेस्पोंडेंट)**

**अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956**

उपस्थिति :–1. श्री आलोक गोयल, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

**निर्णय दिनांक 02.08.2018**

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 07.03.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–रामपुरिया उर्फ फूलपुरिया तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म गै.मु.नाला पर अतिक्रमी मानकर 100/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सहीं अवलोकन नहीं कर निर्णय फरमाया गया है। द्वितीय अतिचार बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में ना तो सुनवाई जवाबदेहीं का अवसर मिला ना हीं साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के प्रतिपादित सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं है। केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब फरमाया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.03.2017 निरस्त फरमाया जावे।

पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किये अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त भूमि पड़त सरकार है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने हेतु बचनबद्ध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 38/2016 निर्णय दिनांक 3.3.2016 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली ने अपीलांट के विरूद्व बिना सुनवाई किये एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है ना ही उक्त आराजी पर कब्जा है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी गै.मु. नाला है, जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 38/16 निर्णय दिनांक 3.3.2016 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली [illegible] संख्या 43/2017 में पारित आदेश दिनांक 07.03.2017 यथावत रखा जाता [illegible]

निर्णय आज दिनांक 02.08.2018 को सरे [illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ओ.स.पी. [illegible])
जिला कलक्टर बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official